झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

संसं0-म0नि0-II-उ0 यो0- 47/2017-18/02 रा0(विभाग)/मत्स्य, राँची, दिनांक 02.05.2019

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा0 प्र0 से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

*अनौपचारिक रुप से परामर्शित

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार* ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में माँग सं0-53-मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन अंतर्गत राज्य योजना में झास्कोफिश को अनुदान योजना का मो0 100.00 लाख (एक करोड़) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सामान्य राज्यादेश सं0- 02 रा0(विभाग) दिनांक 03.05.2018 तथा ऑनलाईन राज्यादेश सं0 290 दिनांक 03.05.2018 के कम में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में संलग्न ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 226 दिनांक 02.05.19 के अनुसार मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन अंतर्गत राज्य योजना में झास्कोफिश को अनुदान योजना का मो0 100.00 लाख (एक करोड़) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निबंधक सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1736 दिनांक 06.12.2008 द्वारा राज्य सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र में राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी समिति के रुप में झारखण्ड राज्य सहकारी मत्स्य संघ (झास्कोफिश) [JHASCOFISH] (Jharkhand State Co-operative Fisheries Federation Ltd. Ranchi) का निबंधन कराया गया है जिसका निबंधन संख्या 17/एस0क्यू0आर0 दिनांक 29.11.2008 है।

झास्कोफिश को अनुदान के माध्यम से झारखण्ड राज्य में कार्यरत मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के प्रबंधन/समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने/समिति के मछुआरे सदस्य को मत्स्य शिकारमाही का उचित मूल्य उपलब्ध कराने/मछलियों के विपणन में सहायता करने तथा मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने आदि का निर्णय लिया है।

इस योजना से राज्य में सहकारिता के आधार पर प्राथमिक मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के माध्यम से मत्स्य उत्पादन में अभिवृद्धि एवं मत्स्य पालकों के आय/आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये उन्हें मार्ग-दर्शन उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जायेगी।

2. (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना के लिये कुल मो0 100.00 लाख (एक करोड़) रु0 मात्र का योजना उद्व्यय निर्धारित है।

(ख) राज्य योजना अंतर्गत इस योजना का बजट उपबंध तीन लघु शीर्षों में निम्न प्रकार से उपलब्ध है-

मांग संख्या-53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन

क्र0	लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष	बजट उपबंध (लाख रू0 में)	स्वीकृत राशि (लाख रू0 में)
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-48-झास्को फिश को अनुदान विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-48-अंशदान विपत्र कोड-53 S240500101480648	55.00	55.00
2	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना उप शीर्ष-48-झास्को फिश को अनुदान-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-48-अंशदान विपत्र कोड 53S240500789480648	15.00	15.00
3	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-48-झास्को फिश को अनुदान विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-48-अंशदान विपत्र कोड- 53S240500796480648	30.00	30.00
	कुल योग :	100.00	100.00

(मो0 एक करोड़ रू0 मात्र)

3. इस योजना के माध्यम से झारखण्ड राज्य सरकारी मत्स्य संघ लि0, राँची को वित्तीय वर्ष 2019-20 में मो0 100.00 लाख (एक करोड़) रु0 अनुमानित अनुदान-अंशदान के रुप में उपलब्ध कराने की कार्रवाई स्थापित प्रकिया एवं नियमों के आलोक में की जायेगी।

4. झास्कोफिश को राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि को व्यय करने हेतु प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश को कॉपरेटिव बैंक, राँची में खोले गये खाता के संचालन की अनुमति पूर्व से प्रदत्त है। राशि के अनुमानित व्यय का अनुमोदन झास्कोफिश के निदेशक मंडल की बैठक के निर्णय के आलोक में किया जायेगा।

5. झास्कोफिश की कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर आयोजित की जायेगी एवं झास्कोफिश को समितियों के कल्याणार्थ और सक्रिय बनाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव झास्कोफिश के निदेशक मंडल की बैठक में लाया जायेगा।

6. मत्स्य सहकारी समितियों के सदस्य मत्स्य कृषकों के सामाजिक, आर्थिक विकास हेतु झास्कोफिश द्वारा ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई की जायेगी।

7. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे, जो दिये गये आवंटन के अंतर्गत राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार, राँची से एक मुश्त करते हुए झास्कोफिश के पी0 एल0 खाते में जमा कर देंगे। झास्कोफिश के पी0 एल0 खाते के संचालक प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश होंगे। प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश द्वारा किये गये व्यय का अनुमोदन झास्कोफिश के निदेशक मंडल की बैठक में प्राप्त कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को स-समय प्रबंध निदेशक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

8. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे। निदेशक मत्स्य के द्वारा समय-समय पर झास्कोफिश के कार्यों का निरीक्षण करते हुए प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायगा।

9. (क) राशि की निकासी एवं व्ययन के क्रम में पूर्ण पारदर्शिता के साथ सभी स्थापित नियमों/विहित प्रक्रियाओं का पालन किए जाने एवं स्वीकृत राशि का विचलन या दुर्विनियोग नहीं हो अन्यथा इसके लिए प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश जिम्मेवार होंगे।

(ख) योजना का डुप्लीकेशन यानी सदृश्य कार्य के लिये दुसरे स्रोत से राशि प्राप्त होने पर तत्संबंधी सूचना अविलम्ब नियंत्री पदाधिकारी को देने का दायित्व प्रबन्ध निदेशक, झास्कोफिश का होगा।

10. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

11. मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा दरों का निर्धारण कर राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

12. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जायेगी।

13. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना ज्ञापांक सी0एस02/आर0-01/2005-301 दिनांक 11.03.2015 के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है।

14. यह पूर्णतः राज्य योजना है तथा इस योजना के अन्तर्गत कोई अग्रिम राशि समायोजन हेतु लंबित नहीं है।

15. वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना की स्वीकृति मो0 500.00 लाख (पाँच करोड़) रू0 मात्र पर प्राप्त थी तथा वास्तविक व्यय शून्य रू0 का हुआ है। यह राशि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को प्रेषित करने हेतु प्रत्यार्पित की गई।

16. विगत् वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि के विरूद्ध भौतिक प्रतिवेदन से संतुष्ट होने के उपरान्त ही राशि का आवंटन किया जाएगा।

17. स्वीकृत्यादेश प्रारुप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

18. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट www.jharkhandfisheries.org पर उपलब्ध है।

विश्वासभाजन

30/5/19

(पूजा सिंघल)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 02 राo(विभाग) /मत्स्य, राँची, दिनांक 02.05.2019

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, डोरंडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/5/19

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 02 रा० (विमागा) /मत्स्य, राँची, दिनांक 02.05.2019

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/ प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, झारखण्ड, राँची/ सभी उप मत्स्य निदेशक/ सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/4/19

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 02 रा० (विमागा) /मत्स्य / राँची , दिनांक 02.05.2019

प्रतिलिपि : योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची / आ0 वि0 सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

30/4/19

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 02 रा० (विमागा) /मत्स्य / राँची , दिनांक 02.05.2019

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

30/4/19

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 02 रा० (विमागा) मत्स्य / राँची , दिनांक 02.05.2019

प्रतिलिपि:- निदेशक, मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को राज्यादेश की प्रति ई-मेल पर भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जा रही है।

30/4/19

सरकार के सचिव